न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. मोहरसिंह उम्र 55 साल
2. ज्ञानसिंह उम्र 53 साल
3. सुगरसिंह उम्र 50 साल
4. हरकेश उम्र 48 साल
5. चिरकोल उम्र 45 साल

पि. हरिहंस जाति गुर्जर निवासी काशीरामपुरा तहसील करौली जिला करौली (राज.)

6. लटूर उम्र 60 साल
7. महाराज सिंह उम्र 40 साल

पि. जुहार सिंह जाति गुर्जर निवासी विदडकिया तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

8. चिरंजीलाल उम्र 50 साल पुत्र प्यारसिंह जाति गुर्जर निवासी काशीरामपुरा हाल आबाद नागतलाई पोस्ट सखीपुरा तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
9. मुंशीलाल उम्र 12 साल
10. रवि उम्र 9 साल
11. विजेन्द्र उम्र 6 साल

पि. स्व. भंवर नाबालिगान जरिये वली माता पपीता पत्नि स्व. भंवर जाति गुर्जर निवासी विदडकिया तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर — अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मुखराम पुत्र लोढ़ा उम्र 72 साल जाति गुर्जर निवासी काशीरामपुरा हाल आबाद नागतलाई पोस्ट सखीपुरा तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर
2. उप जिला कलेक्टर करौली
3. तहसीलदार तहसील करौली — रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 389 दिनांक 29.06.2017 जिसकी रूह से मुखराम पुत्र लोढा जाति गुर्जर निवासी काशीरामपुरा के नाम नामांतरकरण खोला गया है।

निर्णय

दिनांक 27.11.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार करौली द्वारा तस्दीक किये गये नामांतरकरण संख्या 389 दिनांक 29.06.2017 बाके ग्राम पहाड़ी पटवार हल्का गुड़ला तहसील करौली जिला करौली के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली की डिक्री मिसल नंबर 25/02 उनवानी मुखराम बनाम प्यारसिंह वगै. निर्णय दिनांक 31.10.2005 नामांतरकरण के कॉलम नंबर 14 में खोला जाना अंकित है तथा कॉलम नंबर 16 में यह अंकित है (''न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प मुकाम गुडला में मि.नं. 29/02 की पत्रावली डिक्री अनुसार एस.डी.एम. साहब के मौखिक आदेशानुसार नामांतरकरण दर्ज कर सेवा में पेश है'')। इसका आशय स्पष्ट यह है कि यह नामांतरकरण दिनांक 29.06.2017 को मौखिक आदेश से तैयार व तस्दीक किया गया। दोनों ही कॉलमों में मिसल नं. भिन्न भिन्न दर्शाये गये है जो इस नामांतरकरण की अवैधानिकता को और अधिक स्पष्ट करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी नं. 1 ने एस.डी.ओ. व राजस्व कर्मियों से सांठ गांठ कर यह विधि विरुद्ध नामांतरकरण खुलवाया है जिसकी सत्यता पत्रावली इजराय मुखराम बनाम प्यारसिंह मुकदमा नंबर 47/05 को तलब कर देखने पर स्पष्ट होती है। उक्त

इजराय पत्रावली में अपीलाण्ट्स का ऐतराज ऑर्डर 21 रूल 58 मय 151 सीपीसी के तहत ऐतराज आवेदन दिनांक 01.07.2016 को न्यायालय में पेश कर दिया गया था तथा उक्त एक्स पार्टी डिक्री को निरस्त करने बाबत् ऑर्डर 9 रूल 13 की दरख्वास्त उसी दिवस दिनांक 01.07.2016 को न्यायालय एस.डी.ओ. करौली में पेश की गई थी जिसका मुकदमा नंबर 16/16 है, तारीख पेशी25.08.2017 नियत जो न्यायालय एस.डी. ओ. करौली में लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टे एप्लीकेशन पेंडिंग होने पर भी प्रार्थीगण को बिना सुने मौखिक आदेश से जो यह नामांतरकरण तस्दीक किया है वह बिल्कुल विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स के कथन पर कोई गौर नहीं किया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मरे हुए व्यक्ति के विरुद्ध कोई निर्णय निल एण्ड वॉइड होता है। प्यारसिंह का स्वर्गवास वर्ष 2003 में हो गया था जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र दर. ऑर्डर 9 रूल 13 के साथ पत्रावली में पेश किया गया था। इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर ना करते हुए कानून का घोर उल्लंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दर0 ऑर्डर 9 रूल 13 सी.पी.सी. में दर्ज किये गये तथ्यों पर भी कोई गौर नहीं किया। तामील सम्मनों की फर्जी कराई गई। पत्रावली दावा मि0नं0 25/02 न्यायालय एस.डी.ओ. करौली उनवानी मुखराम बनाम प्यारसिंह के निरीक्षण करने पर यह फर्जकारी और भी स्पष्ट रूप से उजागर होती है कि फर्जी जवाब दावा जो पेश किया गया उस पर पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा एक ही दिवस में एकतरफा कार्यवाही के आदेश देकर बयान वादी रिकॉर्ड पर लिये गये मृतक प्यार सिंह के वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने की कोई कार्यवाही वादी द्वारा नहीं की गई और उक्त सभी कार्यवाहियों को नजर अंदाज करते हुए विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया और उक्त विधि विरुद्ध निर्णय की पालना भी विधि विरुद्ध तरीके से मौखिक आदेश से कराई गई है जो अवैध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बहस में कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में दायर मुकदमा संख्या 25/02 दिनांक 31.10.2005 को डिक्री हुआ है। मुकदमा एक्स पार्टी डिक्री हुआ है जिसके कायम मुकाम की भी आवश्यकता नहीं है। 2005 की डिक्री की पालना भी 2017 में हुई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली से आज दिनांक तक कोई स्थगन नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली में पारित निर्णय एवं डिक्री अनुसार यह नामांतरकरण तस्दीक हुआ है जो विधिवत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के मिसल नं. 25/02 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 31.10.2005 के अनुसार नामांतरकरण संख्या 389 दिनांक 29.06. 2017 को तस्दीक किया गया है जो सही है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में अंकित किये गये अन्य तथ्य इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट, सारहीन, तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2019.12.06 16:58:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: